अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री 3... श्री ...	

कम्मा (मृ)अब्दुल करीम बनाम राज.सरकार (341/2023)

27.12.24 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र के सलंग्न अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2009 को प्रस्तुत किया गया था जो आज दिनांक विचाराधीन है एवं कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, चूँकि कि वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा धारा 90–बी की कार्यवाही कर मौके से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर अतिक्रमण करने तथा भूखण्ड काटकर रहन,बेचान, मुन्तकिल करने एवं नीवं खोदने तथा निर्माण कार्य कर भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने पर सख्त आमादा हो रहे है तथा वर्तमान में विधानसभा चुनाव आने के कारण आगामी एक–डेढ़ माह तक निर्णय पारित फरमाया जाना भी अंसभव है तब तक अतिक्रमण भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तन एवं निर्माण कार्य ही पूर्ण हो जायेगा इसी कारण विधिक सलाह के आधार पर आदेश दिनांक 27.07.2023 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है। उक्त अपील प्रस्तुती हेतु दिनांक 03.08.2023 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त की गई तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय के समक्ष बहस हेतु भरकस प्रयास किया गया लेकिन दिनांक लगभग 9.10.2023 को आचार संहिता लागू होंने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में अब चुनाव पूर्ण होने तक न्यायिक कार्य मुश्किल होने के कारण अभिभाषक की सलाह के अनुसार आज जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। गुणावगुण पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्‌भाविक देरी को न्यायहित मे क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधी है जिसकी जानकारी अपीलांट को है तथा उनको अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करना चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई है। प्रकार अपीलांट के प्रार्थना–पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये है वह संतोषप्रद नहीं होने से खारिज योग्य है

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रार्थना–पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये गये है जो संतोषप्रद होने से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात् अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 1542 रकबा 4–4–00

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री

बीघा प्राथीगण के पूर्वज कम्मा के नाम दर्ज थी जो जमाबंदी सम्वत 2022 लगायत 2025 में दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1540 रकबा 1–10–00 बीघा व 1540 रकबा 1–12–00 बीघा सम्वत 2014 से 2017 एवं 2022 सके 2025 की जमाबंदी में रहीमा पुत्र गंभीरा के नाम दर्ज है जिसके द्वारा वादी कम्मा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दी गई तत्पश्चात रहीमा का स्वर्गवास हो गया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम दिनांक 31.05.1984 को नामान्तकरण स्वीकार हुआ उक्त तीनों खसरा नम्बरान के वर्किंग खसरा नम्बर 1774 एवं 1772 कामय किये गये जिन पर आज दिनांक कम्मा के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रह है। त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की आड़ में अप्रार्थीगण प्लाट काटकर विक्रय करने की नाजायज कोशिश कर रहे है तथा नगर सुधार न्यास हाल अजमेर विकास प्राधिकरण से उक्त भूमि को धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् रूपान्तरण करवा कर आबादी में दज करवाने की कोशिश कर रहे है ताकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सारहीन हो जावें। जिससे अप्रार्थीगण को रूपान्तकरण करवाने, प्रार्थीगण को बेदखल करने, जबरन अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने तथा भूमि की किस्म व शक्ल परिवर्तित करने तथा रहन, बेचान, मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा हो रहे है जिसमें यदि वे सफ़ल हो गए तो प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात से महरूम हो जायेगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षतिं कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात रहन, बेचान, मुन्तकिल करने, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, अन्यत्र रहन, बेचान, मुन्तकिल करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने एवं रिकार्ड में परिवर्तन करवाने से पाबंद फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि भूमि नगर सुधार न्यास हाल अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांटस तो केवल अतिचारी/अतिक्रमी है इसलिए विवादित आराजी बाबत् उनका हक व अधिकार नहीं होने से स्थगन प्रार्थना–पत्र व अपील को खारिज फ़रमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की समस्त आदेशिका की प्रति एवंएवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट द्वारा एक वाद प्रस्तुत किया गया तथा वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। दिनांक 23.09.2009 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। वर्तमान में भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण तलबी नोटिस हेतु नियत है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तलबी हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस के मध्य सदभाविक कृषि भूमि संबंधी वाद विद्यमान है, जिसमें अपीलांट के हक अधिकार तय होने है किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में लगभग 25 वर्ष से नोटिस हेतु लम्बित होने से प्रार्थीगण/अपीलांटस का परेशान होना स्वाभिक है इसलिए शीघ्र निर्णय हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का

Scanned with CamScanner

अजमेर

अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील/2023/225 रामा(मृ.) अब्दुल करीम ... राज. सरकार

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	20232341 श्री अजीत सिंह श्री	

अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश से दो माह में करें।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल भूत तीनो बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत रूप से उल्लेख कर प्रार्थना पत्र का दो माह में गुणावगुण पर आवश्यक रूप से निस्तारित करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम. हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner